2019 का विधेयक संख्यांक 369

[दि एंटी मेरिटाइम पाइरेसी बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक, 2019

खुले समुद्र में जलदस्युता के दमन के लिए विशेष उपबंध करने के लिए और जलदस्युता के अपराध के लिए दंड और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत, 10 दिसम्बर, 1982 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का एक पक्षकार है और 29 जून, 1995 को उसका अनुसमर्थन किया है ;

और पूर्वोक्त अभिसमय में अन्य बातों सहित यह कथन है कि सभी राज्य खुले समुद्र या किसी राज्य की अधिकारिता के बाहर किसी अन्य स्थान पर जलदस्युता का दमन करने में संपूर्ण संभव विस्तार तक सहयोग करेंगे ;

और पूर्वोक्त अभिसमय में अंतर्विष्ट जलदस्युता से संबंधित उपबंधों को कार्यान्वित करना आवश्यक समझा गया है ।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम समुद्री जलदस्युता रोधी अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

(3) इस अधिनियम के उपबंध भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं से लगे हुए तथा उससे परे समुद्र के सभी भागों को लागू होंगे ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अभिप्रेत है ; 1974 का 2

(ख) "अभिसमय" से समुद्र विधि, 1982 पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय अभिप्रेत है ;

(ग) "अभिसमय राज्य" से समुद्र विधि, 1982 पर राष्ट्र अभिसमय का कोई पक्षकार राज्य अभिप्रेत है ;

(घ) "पदाभिहित न्यायालय" से धारा 8 के अधीन इस रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है ;

(ङ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(च) "जलदस्युता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

(i) किसी प्राइवेट पोत या किसी प्राइवेट वायुयान के कर्मी दल या किसी यात्री द्वारा प्राइवेट उद्देश्यों के लिए किया गया हिंसा या निरोध का कोई भी अवैध कार्य या लूटपाट का कोई भी कार्य और जो--

(अ) खुले समुद्र में दूसरे पोत या वायुयान के विरुद्ध या ऐसे पोत या ऐसे पोत के फलक या वायुयान पर व्यक्तियों या संपत्तियों के विरुद्ध किया गया हो ;

(आ) भारत की अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में किसी पोत, वायुयान, व्यक्तियों या संपत्ति के विरुद्ध किया गया हो ;

(ii) किसी पोत या किसी वायुयान के प्रचालन में ऐसे तथ्यों के ज्ञान होने पर, जो उसे जलदस्यु पोत या वायुयान बनाते हैं, स्वैच्छया भाग लेने का कोई भी कार्य ;

(iii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) में वर्णित किसी कार्य को उद्दिप्त करने या साशय सुकर बनाने का कोई भी कार्य ; या

(iv) कोई भी ऐसा कार्य, जिसे अंतर्राष्ट्रीय विधि, जिसके अंतर्गत रुढ़िजन्य अंतर्राष्ट्रीय विधि भी है, के अधीन जलदस्युता पूर्ण समझा जाता है ;

(छ) "जलदस्यु पोत या वायुयान" से ऐसा कोई पोत या वायुयान अभिप्रेत है जो,--

(i) अधिष्ठायी नियंत्रण वाले व्यक्तियों द्वारा खंड (च) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) में निर्दिष्ट कोई भी कार्य करने के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाना आशयित है ; या

(ii) जब तक उस कार्य के दोषी व्यक्तियों के नियंत्रण के अधीन रहता है, इस खंड के उपखंड (i) में निर्दिष्ट ऐसे किसी कार्य को करने के लिए प्रयुक्त किया गया है ;

(ज) "राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे इन विधियों के आधार पर किसी भी देश के किसी राष्ट्रिक के रूप में नहीं समझा जाता है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु भारतीय दंड संहिता, 1860 या संहिता या राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतटभूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः उन संहिताओं या अधिनियम में हैं ।

1860 का 45

1976 का 80

(3) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि, जो किसी क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है, के प्रति निर्देश का अर्थ उस क्षेत्र के संबंध में उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा ।

जलदस्युता के लिए दंड ।

3. जो कोई जलदस्युता का कोई कार्य करता है,--

(i) आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा ; या

(ii) मृत्यु से दंडित किया जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति ने जलदस्युता का कार्य करने या उसका प्रयत्न करने में मृत्यु कारित की है,

और इसके अतिरिक्त वह अपराध के कारित किए जाने में अंतर्वलित संपत्ति को वापस करने या उसका समपहरण किए जाने के अध्यधीन भी होगा ।

जलदस्युता करने के प्रयत्न, आदि के लिए दंड ।

4. जो कोई, जलदस्युता का अपराध करने का कोई भी प्रयत्न करता है या ऐसे अपराध के किए जाने के लिए सहायता, दुष्प्रेरण, परामर्श या उपाप्त करता है, ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा ।

जलदस्युता के किसी कार्य में संगठित होने, दूसरों को निदेश देने या भाग लेने के लिए दंड ।

5. जो कोई, जलदस्युता के किसी कार्य को करने के लिए संगठित होता है या दूसरों को निदेश देता है या भाग लेता है, ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा ।

गिरफ्तारी, अन्वेषण, आदि की शक्ति का प्रदत्त किया जाना ।

6. संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, मामले का अन्वेषण करने और किसी व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए संहिता के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों को अपने किसी राजपत्रित अधिकारी को या किसी राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी को प्रदत्त कर सकेगी ।

गिरफ्तारी और संपत्ति का अभिग्रहण ।

7. (1) खुले समुद्र में या भारत की अधिकारिता के बाहर किसी स्थान पर किसी जलदस्यु, पोत या वायुयान को या जलदस्युता के लिए ले जाए गए तथा जलदस्युओं के नियंत्रण के अधीन किसी भी पोत या वायुयान को अभिगृहीत किया जा सकेगा तथा फलक पर व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सकेगा और फलक पर संपत्ति अभिग्रहण के दायित्वाधीन हो सकेगी ।

(2) जलदस्युता के कारण उपधारा (1) के अधीन कोई अभिग्रहण केवल युद्ध पोतों या भारतीय नौसेना के सैनिक वायुयान या भारतीय तटरक्षक के पोतों या वायुयान या सरकारी सेवा पर होने के रूप में और ऐसे प्रयोजन के लिए प्राधिकृत स्पष्ट रूप से चिन्हित और पहचान योग्य अन्य पोतों या वायुयान द्वारा ही किया जाएगा ।

पदाभिहित न्यायालय ।

8. इस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण की व्यवस्था के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा--

(i) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी राज्य में एक या अधिक सेशन न्यायालय को पदाभिहित न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी ; और

(ii) ऐसे प्रत्येक न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

पदाभिहित न्यायालय की अधिकारिता ।

9. (1) पदाभिहित न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के विचारण की अधिकारिता होगी, जहां ऐसा अपराध--

(i) ऐसे व्यक्ति की राष्ट्रिकता या नागरिकता पर ध्यान दिए बिना ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक द्वारा पकड़ा गया है या उनकी अभिरक्षा में है ;

(ii) ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो भारत का नागरिक है या भारत में निवासी कोई विदेशी राष्ट्रिक है या कोई राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति है :

परंतु जहां ऐसा अपराध किसी विदेशी ध्वज वाले पोत के फलक पर किया जाता है, वहां ऐसे न्यायालय को ऐसे अपराध का विचारण करने की अधिकारिता तब तक नहीं होगी, जब तक उस पत्तन या स्थान के, जहां पर पोत अवस्थित है, विधि प्रवर्तन या अन्य लोक प्राधिकारी से उस राज्य द्वारा, जिसका ध्वज वह जलयान लगाने के लिए हकदार है या पोत के स्वामी द्वारा या उसके मास्टर द्वारा या पोत के फलक पर अन्य व्यक्ति द्वारा मध्यक्षेप करने का अनुरोध नहीं कर दिया जाता है :

परंतु यह और कि इस उपधारा की कोई बात किसी युद्धपोत को या सहायक पोत को या ऐसे पोत को, जो सरकारी स्वामित्व वाला वाणिज्येत्तर सेवा में लगा हुआ पोत है और जो जलदस्युता के अपराध के समय सरकारी प्राधिकारियों के नियंत्रण में है, लागू

नहीं होगी ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पदाभिहित न्यायालय को किसी उद्घोषित अपराधी का विचारण उसकी अनुपस्थिति में करने की अधिकारिता होगी ।

पदाभिहित न्यायालय द्वारा अपराधों का विचारण ।

10. (1) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,--

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का विचारण धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में अधिसूचित पदाभिहित न्यायालय द्वारा किया जाएगा ;

(ख) जब कोई अभियुक्त व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति, जिस पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को किए जाने का संदेह है, संहिता की धारा 167 की उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति का निरोध, ऐसी अभिरक्षा में, जो वह उचित समझे, कुल मिलाकर पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि के लिए, जहां ऐसा मजिस्ट्रेट कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट है और कुल मिलाकर सात दिन की अवधि के लिए, जहां ऐसा मजिस्ट्रेट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, प्राधिकृत कर सकेगा :

परंतु जहां ऐसा मजिस्ट्रेट--

(i) उस समय जब ऐसा व्यक्ति, इस उपधारा के अधीन उसके पास भेजा जाता है ; या

(ii) उसके द्वारा प्राधिकृत निरोध की अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय,

यह समझता है कि ऐसे व्यक्ति का निरोध आवश्यक नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति को अधिकारिता रखने वाले पदाभिहित न्यायालय को भेजने का आदेश देगा ।

(2) पदाभिहित न्यायालय, उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन उसके समक्ष पेश किए गए किसी व्यक्ति के संबंध में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो संहिता की धारा 167 के अधीन ऐसे मामले में, जो उस धारा के अधीन उसको भेजा गया है, किसी अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में, मामले का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट प्रयोग कर सकता है ;

(3) पदाभिहित न्यायालय, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद का परिशीलन करके अभियुक्त को विचारण के लिए उसके पास भेजे बिना अपराध का संज्ञान ले सकेगा ।

(4) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय पदाभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन के अपराध से भिन्न किसी अन्य विधि के अधीन किसी ऐसे अपराध का भी विचारण कर सकेगा, जिससे अभियुक्त को संहिता के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सके ।

(5) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पदाभिहित न्यायालय यथासाध्य दिन प्रतिदिन आधार पर विचारण करेगा ।

उपधारणा ।

11. जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का अभियुक्त है और यदि,--

(क) अभियुक्त के कब्जे से आयुध, गोला बारूद, विस्फोटक और अन्य उपस्कर बरामद किए गए थे और यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि ऐसे आयुध, गोला बारूद, विस्फोटक या उसी प्रकार के अन्य उपस्कर अपराध किए जाने में प्रयुक्त किए गए थे या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित थे ; या

(ख) अपराध के किए जाने के संबंध में पोत के कर्मीदल या यात्रियों पर किए गए बल प्रयोग, बल प्रयोग की धमकी या अभित्रास के किसी अन्य रूप का साक्ष्य है ; या

(ग) किसी पोत के कर्मीदल, यात्रियों या स्थोरा के विरुद्ध बम, आयुध, अग्न्यायुध, विस्फोटक का प्रयोग करने की धमकी या किसी अन्य रूप में हिंसा करने का साक्ष्य है,

तो पदाभिहित न्यायालय, जब तक तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है ।

जमानत के बारे में उपबंध ।

12. (1) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में है, जब तक जमानत पर या अपने स्वयं के बंधपत्र पर नहीं छोड़ा जाएगा जब तक-

(क) लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो ; और

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किया जाना संभाव्य नहीं है ।

(2) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात संहिता की धारा 439 के अधीन जमानत देने के संबंध में उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियों को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

पदाभिहित न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में संहिता का लागू होना ।

13. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, संहिता के उपबंध किसी पदाभिहित न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और किसी पदाभिहित न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति उक्त संहिता के अधीन नियुक्त लोक अभियोजक समझा जाएगा ।

प्रत्यर्पण के बारे में उपबंध ।

14. (1) इस अधिनियम के अधीन अपराध को प्रत्यर्पणीय अपराधों के रूप में सम्मिलित किया जाना और भारत द्वारा अभिसमय राज्य के साथ की गई सभी प्रत्यर्पण संधियों के लिए उपबंधित किया जाना समझा जाएगा और जिसका विस्तार इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को भारत पर है और उस पर आबद्धकर है।

(2) किसी द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के अभाव में इस अधिनियम के अधीन अपराध

पारस्परिकता के आधार पर भारत और अन्य अभिसमय राज्य के बीच प्रत्यर्पणीय अपराध होंगे ।

1962 का 34

(3) इस अधिनियम के अधीन अपराधों को प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के उपबंध को लागू होने के प्रयोजनों के लिए किसी अभिसमय राज्य में रजिस्ट्रीकृत कोई भी पोत ऐसे किसी भी समय, जब पोत चल रहा हो, उस अभिसमय राज्य की अधिकारिता के भीतर होना समझा जाएगा, चाहे वह थोड़े समय के लिए किसी अन्य राज्य की अधिकारिता के भी भीतर हो या नहीं ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

15. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही न होगी ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार के विरुद्ध नहीं होगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

आजकल जलदस्युता का खतरा बढ़ता जा रहा है । अदन की खाड़ी में, जो सोमालिया और यमन को अलग करती है तथा अरब सागर को लाल सागर से और स्वेज नहर से होकर भू-मध्य सागर से जोड़ती है, 2008 से सोमालिया से कार्यरत जलदस्युओं द्वारा हमलों में अत्यधिक तेजी आई है । इस मार्ग का प्रयोग एशिया और यूरोप तथा अफ्रीका के पूर्वी तट के बीच व्यापार के लिए प्रत्येक मास लगभग 2000 पोतों द्वारा किया जाता है । अदन की खाड़ी में नौसेना की बढ़ी हुई उपस्थिति के कारण जलदस्युओं ने अपना कार्यक्षेत्र पूर्व की ओर और दक्षिण की ओर बदल दिया है । इससे भारत के पश्चिमी क्षेत्र की ओर भी जलदस्तु घटनाओं की खलबली पैदा कर दी है ।

2. भारत में जलदस्युता पर कोई पृथक् देशी विधान नहीं है । पूर्व में, भारतीय नौसेना और तटरक्षक द्वारा पकड़े गए जलदस्युओं को अभियोजित करने के लिए सशस्त्र लूट से संबंधित भारतीय दंड संहिता के उपबंधों और कतिपय न्यायालयों के नावधिकरण विषयक अधिकारिता का अवलंब लिया गया है । किन्तु भारत में समुद्री जलदस्युता के अपराध से संबंधित किसी विनिर्दिष्ट विधि के अभाव में जलदस्युओं के प्रभावी अभियोजन को सुनिश्चित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।

3. जलदस्युता की बढ़ती हुई घटनाओं, जिसके अंतर्गत भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्रके भीतर घटनाएं और भारतीय नौसैनिक बलों द्वारा पकड़े गए जलदस्युओं की बढ़ती हुई संख्या भी हैं, की दृष्टि से जलदस्युता पर एक व्यापक देशी विधान की आवश्यकता का अनुभव किया गया है, जो वर्ष 1982 में समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीएलओएस) पर हस्ताक्षर करके और वर्ष 1995 में उसके अनुसमर्थन से भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धता का परिणाम है ।

4. पूर्वोक्त दृष्टिकोण से जलदस्युता संबंधित अपराधों के लिए व्यक्तियों के अभियोजन के लिए तथा भारत के समुद्री व्यापार की संरक्षा और सुरक्षा में, जिसके अंतर्गत हमारे जलयानों और कर्मीदल सदस्यों की सुरक्षा भी है, अभिवृद्धि करने के लिए एक देशी जलदस्युता रोधी विधान लाने का विनिश्चय किया गया है ।

5. तदनुसार समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक, 2019 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए उपबंध हैं--

(क) प्रस्तावित विधान के उपबंधों को भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्रकी सीमाओं से लगते हुए और उससे परे के सभी समुद्री भागों पर लागू करने के लिए ;

(ख) खुले समुद्र में जलदस्युता के कार्य को आजीवन कारावास या मृत्यु से दंडनीय अपराध बनाने के लिए ;

(ग) जलदस्युता का अपराध करने के प्रयत्न या अपराध किए जाने में उपसाधन होने के लिए दंड का उपबंध करने के लिए ;

(घ) कतिपय शर्तों का समाधान हो जाने की दशा में दोषी होने की उपधारणा का उपबंध करने के लिए ;

(ङ) अपराध को प्रत्यर्पणीय बनाने के लिए ;

(च) प्रस्तावित विधान के अधीन जलदस्युता के अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए पदाभिहित न्यायालयों के रूप में कतिपय न्यायालयों को विनिर्दिष्ट करने हेतु केंद्रीय सरकार को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से समर्थ बनाने के लिए ।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
2 दिसम्बर, 2019

डा० एस० जयशंकर

MGIPMRND—4018LS(CRC)—03-12-2019.